भारत सरकार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ बैठक का कार्यवृत्त
दिनांक 13.02.2020
NCBC/08/01/232-F/2019-KSP

बैठक में उपस्थित अधिकारीः-

1. डॉ भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
2. डॉ लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष, रा.पि.व.आ.
3. श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
4. श्री आचार्य थल्लोजु, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ.
5. श्री बी.के. पति, उप सचिव, रा.पि.व.आ.
6. मिस ताजिन्दर मुखर्जी, सीएमडी, नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
7. मिस सोफिया सिहं, जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
8. मिस शोभा रेड्डी, जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
9. मिस सुनीता तुली नागपाल, जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
10. श्री सिद्वार्थ प्रधान, जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
11. श्री रवि, जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
12. अन्य अधिकारी, नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी में रिक्रूटमेंट के समय पहले एस.सी./एस.टी./ओबीसी की सीटों को भरा जाता है या यू.आर. की सीटों को पहले भरा जाता है?

सीएमडी, नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर, पहले यू.आर. की सीटों को भरा जाता है उसमें ओबीसी/एस.सी./एस.टी. जो अपनी मेरिट पर सेलेक्ट होते है उनको भी यू.आर. में रखा जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के आंकड़ो से लग रहा है कि सीधी भर्ती में भी ओबीसी को 27% आरक्षण नही दिया जा रहा है।

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर, रोस्टर में सरप्लस है इसलिए यहां पर कम दिखा रहा है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड में ओबीसी के कर्मचारियों की प्रमोशन में क्या स्थिति है?

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर, ओबीसी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान नही है। इसलिए इसका कोई डाटा नही बनाया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- यह तो आयोग को भी पता है कि ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नही दिया जाता है लेकिन हम यह देखना चाहते है कि मेरिट के आधार पर ओबीसी के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाता है क्योकि यह देखने में आया है कि ओबीसी के पात्र कर्मचारियों को भी प्रमोशन नही दिया जा रहा है। 15 दिनों के अंदर पिछले 5 साल का डाटा बनाकर आयोग को भेजें।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के सभी रीजनल ऑफिसों में ओबीसी का लाईसन ऑफिसर नियुक्त किया गया है?

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर, नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के सभी रीजनल ऑफिसों में ओबीसी का लाईसन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 31 लाईसन ऑफिसरों में से 22 लाईसन ऑफिसर ओबीसी केटेगरी के है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- ओबीसी के सभी लाईसन ऑफिसर ओबीसी केटेगरी के ही बनाने चाहिए जिससे सही ढ़ंग से ओबीसी सेल कार्य कर सके और ठीक प्रकार से उनकी समस्याओं को सुना जा सके।

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- ठीक है सर, यह नोट कर लिया गया है हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड में कान्ट्रेक्ट पर भर्ती की जाती है?

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर, नेशनल इंश्योरेन्श कंपनी लिमिटेड में कान्ट्रेक्ट पर भर्ती नही की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- पिछले 3 वर्षों में ओबीसी से संबंधित कितनी शिकायते प्रास हुई है?

लाईसन ऑफिसर, नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर ज्यादातर ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रास होते है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- कंपनी के रिकार्ड के अनुसार 1 चैक-ऑफ की भी शिकायत है।

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर, वह मामला चैन्नई हाई कोर्ट में लंबित है जिसके कारण इस शिकायत पर कार्यवाही नही हो सकी है। इस मामले में अप्रैल तक कोर्ट का कुछ निर्णय आ जायेगा जिसके बाद चैक-ऑफ में ओबीसी आ जायेगे।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड में ओबीसी का सेल बना हुआ है?

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- सर, सभी के लिए 1 रिजर्वेशन सेल बना हुआ है ओबीसी का अलग से सेल नही है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- क्या डीपीसी में ओबीसी के सदस्य को शामिल किया जाता है?

जी.एम., नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेडः- नही सर डीपीसी में ओबीसी के सदस्य को शामिल नही किया जातै है।

श्री कौशलेन्द्र सिहं पटेल, माननीय सदस्यः- नेशनल इंश्योरेन्श कंपनी लिमिटेड में ओबीसी का अलग सेल बनना चाहिए यह ओबीसी के लाईसन ऑफिसर की जिम्मदारी है और डीपीसी में भी ओबीसी के एक सदस्य को शामिल किया जाना चाहिए। चैक-ऑफ की शिकायत को भी जल्द से जल्द सुलझा लिया जाना चाहिए। भारत सरकार के ओबीसी से संबंधित सभी आदेशों का पूर्ण रूप व सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

<u>बैठक संपन्न।</u>

(कौशलेन्द्र सिहं पटेल)
सदस्य, रा.पि.व.आ.